सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

वित्त विभाग

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट

2018-19

मार्च, 2018

प्राक्कथन

राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है, राज्य सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए वचनबद्ध है । यह विवरण बजट प्रावधान की उन योजनाओं का संकलन है जो मुख्यतः बच्चों के कल्याण के लिए हैं । ये शैक्षिक परिव्ययों, बालिकाओं के लिए विशिष्ट योजनाओं, स्वास्थ्य, तथा बाल सुरक्षा आदि के लिए प्रावधानों को इंगित करते हैं ।

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट से संबंधित विवरणी की शुरूआत वर्ष 2013-14 में की गयी थी । वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित विभागों द्वारा बाल कल्याण योजनाओं पर व्यय किए जाने हेतु बजट प्रावधान का उल्लेख किया जा रहा हैः-

1. कला संस्कृति एवं युवा विभाग ।
2. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ।
3. शिक्षा विभाग ।
4. समाज कल्याण विभाग ।
5. श्रम संसाधन विभाग ।
6. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ।
7. स्वास्थ्य विभाग ।
8. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।

बिहार देश के 4.96 करोड़ बच्चों (0 से 18 वर्ष) का घर है। यह देश के कुल जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत है। वर्ष 2018-19 के कुल बजट (176990.27 करोड़ रू.) का बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट 13.2 प्रतिशत है। बच्चों के मुद्दों पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है और राज्य के बजट में भी निम्न प्राथमिकता दी जाती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी बच्चों के कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया जाता है, तो वह उस कार्यक्रम की तुलना में काफी कम होता है। अतः बाल संबंधित योजनाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए, राज्य सरकार ने 2013-14 से बाल बजट बनाने की प्रक्रिया की शुरूआत की। भारत और बिहार के बच्चों से संबंधित कुछ संकेतक इस प्रकार है :-

भारत एवं बिहार के बच्चों के कुछ तुलनात्मक संकेतक

क्रम	संकेतक	भारत		बिहार	
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1	जनसंख्या (करोड़) (2011)	62.3	58.7	5.4	4.9
2	जनसंख्या (करोड़) (2011) (0-6 वर्ष)	8.6	7.9	1.0	0.9
3	जनसंख्या (करोड़) (2011) (07-18 वर्ष)	16.2	14.6	1.6	1.4
4	लिंग अनुपात (सभी आयु वर्ग) (2011)	1000	943	1000	918
5	बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) (2011)	1000	919	1000	935
6	बाल लिंग अनुपात (07-18 वर्ष) (2011)	1000	902	1000	874
7	नवजात शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार) (2016)	33	36	31	46
8	5 वर्ष के पहलु मृत्यु की दर (2015)	40	45	43	54
9	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनका जन्म निबंधित है (%) (2015-16)	79.4	80.1	58.7	62.9
10	स्क्लुसिभ स्तनपान करने वाले 6-23 महीने के बच्चे (%) (2015-16)	3	2.8	2.5	3.0
11	12-23 महीने के बच्चे पूरी तरह से प्रतिरक्षित (बीसीजी, खसरा और 3 डोज प्रत्येक पोलियो और डीपीटी) (%) (2015-16)	62.1	61.9	61.7	61.7
12	6-59 महीने के बच्चे जिनमें रक्तहीनता है (<11.0 g/dl) (%)(2015-16)	58.3	58.6	32.0	60.0
13	5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनमें बौनापन है (वजन के अनुपात में लम्बाई) (%) (2015-16)	21.9	20.1	21.2	20.4

14	5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन कम है (वजन के अनुपात में उम्र) (%) (2015-16)	36.1	35.3	42.8	44.9
15	साक्षरता दर (07-18 वर्ष) (2011)	89.7	86.8	81.7	76.3
16	साक्षरता दर (2011)	80.9	64.6	71.2	51.5
17	सकल नामांकन अनुपात (2015-16) (I-VIII)	94.8	99.2	95.5	105.4
18	सकल नामांकन अनुपात (2015-16) (IX-X)	79.2	81.0	72.4	85.4
19	सकल नामांकन अनुपात (2015-16) (XI-XII)	56.0	56.4	34.8	36.7
20	कुल कर्मी (05-14 वर्ष) (करोड़) (2011)	13.6	12.4	1.5	1.4

स्रोत : 1-6, 15, 16 एवं 20 जनगणना (भारत सरकार), 7,8 प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली,
9-14 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 17-19 डाइस

अगर 2018-19 एवं 2017-18 के आवंटित विभागवार बजट को देखें तो, सिर्फ समाज कल्याण विभाग को छोड़कर सभी विभागों में बाल कल्याण पर आवंटित राशि में वृद्धि हुई है एवं 2017-18 के कुल बजट से 2018-19 की कुल बजट में 498155.9 लाख रूपये की वृद्धि है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 1.3 गुणा अधिक है।

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विभाग का नाम	बजट 2017-18	संशोधित अनुमान 2017-18	बजट 2018-19
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	1000.00	1100.00	1350.00
2	पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	127740.42	127740.42	128487.72
3	शिक्षा विभाग	1297845.04	1194136.66	1808923.14
4	समाज कल्याण विभाग	335479.59	345035.17	298950.97
5	श्रम संसाधन विभाग	281.49	286.00	302.89
6	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	64417.06	73986.80	70821.67
7	स्वास्थ्य विभाग	7964.06	20165.86	26150.16
8	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	7303.00	5203.00	5200.00
	कुल योग-	**1842030.66**	**1767653.91**	**2340186.55**

नोट :- 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं में प्रावधानित विभागवार उक्त राशि संबंधित विभागों के संबंधित उपशीर्षों में वर्ष 2018-19 के उपबंधित राशि की अधीन है।

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
विभाग - कला संस्कृति एवं युवा विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	बजट 2017-18	संशोधित बजट अनुमान 2017-18	बजट 2018-19	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	08- 2204.00.104.0001	विद्यालय खेलकूद	500.00	400.00	650.00	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	**वर्ष 2017-18 की उपलब्धि** विद्यालय खेल के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता हेतु 14, 17 एवं 19 वर्ष के अन्दर आयुवर्ग के छात्र/छात्राओं को सम्यक प्रशिक्षण के उपरांत राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में सहभागिता सुनिश्चित की गयी। **वर्ष 2018-19 का लक्ष्य** विद्यालय खेल के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता हेतु 14, 17 एवं 19 वर्ष के अन्दर आयुवर्ग के छात्र/छात्राओं को सम्यक प्रशिक्षण के उपरांत राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में सहभागिता का लक्ष्य हैं।
2	08- 2204.00.104.0102	मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत खेल प्रतियोगिता	500.00	700.00	700.00	राज्य स्कीम	**वर्ष 2017-18 की उपलब्धि** मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं हेतु एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया गया। **वर्ष 2018-19 का लक्ष्य** प्रशिक्षण केन्द्रों में आधुनिक खेल प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य/राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने का लक्ष्य है।
		योग-	**1000.00**	**1100.00**	**1350.00**		

cky dY;k.k ;kstukvksa dh fy, ctV iko/kku& foHkkxokj fooj.kh
foHkkx & fiNMk oxZ ,oa vfr fiNMk oxZ dY;k.k foHkkx

¼jkf'k yk[k :i;s esa½

क्र0 सं0	foi= dkM	Ldhe dk uke	बजट 2017-18	संशोधित बजट अनुमान 2017-18	बजट 2018-19	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	11-2225031970101	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लॉक पंचायत)	9450.00	9450.00	10395.00	राज्य स्कीम	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 866250 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा सकेगी।
2	11-2225032770101	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	7025.00	7025.00	7025.00	राज्य स्कीम	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 585416 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा सकेगी।
3	11-2225031980101	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (ग्राम पंचायत)	18050.00	18050.00	19855.00	राज्य स्कीम	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 1654580 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा सकेगी।
4	11-2225032770101	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति	71269.14	71269.14	70072.39	राज्य स्कीम	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 587396 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा सकेगी।
5	11-4225032770101	जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग छात्रावास	3458.52	3458.52	500.00	राज्य स्कीम	उच्च विद्यालय एवं ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए यह योजना संचालित है। राज्य के प्रत्येक जिला में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए 100 आसनवाले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों के संचालन पर व्यय होने की संभावना है।
6	11-2225032770101	मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना	9000.00	9000.00	9500.00	राज्य स्कीम	इस योजना के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (दशवीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले बिहार राज्य के स्थायी निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा रू0 10,000/– (रू0 दस हजार) मात्र एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है।

क्र0 सं0	foi= dkM	Ldhe dk uke	बजट 2017-18	संशोधित बजट अनुमान 2017-18	बजट 2018-19	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
7	11-2225032770101	मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना	6000.00	6000.00	6000.00	राज्य स्कीम	इस योजना के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (दशवीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले बिहार राज्य के स्थायी निवासी पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू0 1,50,000/– (रू0 एक लाख पचास हजार)मात्र तक या इससे कम हो, को प्रति छात्र रू0 10,000/– (रू0 दस हजार) मात्र एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है।
8	11-2225032770101	प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	0.00	1250.00	राज्य स्कीम	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 1,67,000 छात्र/छात्राओं को छात्रवत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
9	11-2225032770214	प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति	1250.00	1250.00	1250.00	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 1,67,000 छात्र/छात्राओं को छात्रवत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
10	11-2225032770314	प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति (राज्यांश)	1100.00	1100.00	1250	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दी जाती है।
11	11-2225032770010	12 कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण	1073.43	1073.43	1259.00	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए 12 आवासीय कन्या उच्च विद्यालय संचालित है, जिसमें वर्ग 6 से 12 की कक्षाएं संचालित की जाती है।
12	11-2225032770002	छात्रावासों का संधारण	64.33	64.33	131.33	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावास संचालित है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों के संधारण एवं इसमें सृजित स्थायी पदों के वेतन एवं भत्ते मद में राशि व्यय होगी।
		योग-	**127740.42**	**127740.42**	**128487.72**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

शिक्षा विभाग

राशि लाख रूपये में

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	ctV 2017&18	l'kkf/kr ctV 2017&18	बजट 2018-19	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	21-2202.01.112.0203 21-2202.01.112.0303 21-2202.01.789.0306	मध्याह्न भोजन योजना	263005.22	263005.22	217146.23	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पोषणयुक्त आहार के लिए कक्षा 1 से 8 तक के सभी कोटि के छात्र/छात्राओं को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। जिससे सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानतः की भावना विकसित होती है तथा साथ ही उनमें स्वस्थ्य मानसिक एवं शारीरिक क्षमतः का विकास होता है।
2	21-2202.01.001.0107	किलकारी	400.00	400.00	400.00	राज्य स्कीम	किलकारी द्वारा 9 से 16 आयु वर्ग तक बच्चों की सृजनशीलता को उभारने हेतु स्वस्थ तनावरहित एवं आनन्दमयी वातावरण में उनकी अभिरूचि के अनुसार मंगलवार से शनिवार प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाता है जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्न है :– 1. नियमित प्रशिक्षण – शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, चित्रकला, क्राफ्ट, मूर्तिकला, कराटे, बैडमिंडन, बॉल बैडमिंटन, शतरंज, विज्ञान, लेखन, नाटक आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। 2. प्रकाशन–किलकारी के बच्चों द्वारा हर माह बाल किलकारी नामक मासिक अखबार बच्चों से संबंधित किताबें बोशर, मॉड्यूल इत्यादि सामग्री की प्रकाशन की योजना। 3.गुल्लक (बच्चा बैंक)–बच्चों द्वारा बचत की जाने वाली राशि की जमा योजना। 4. फोटाग्रॉफी–बच्चों में देखने–समझने के नजरियों को विकसित करने की योजना। वर्त्तमान में बच्चें बिहार की गुफाओं का शैक्षणिक भ्रमण कर फोटोग्राफी कर रहें है। इसके उपरांत पुस्तक निमार्ण की योजना। 5. चलंत पुस्तकालय – बाल भवन की गतिविधियों से सरकारी विद्यालयों एवं स्लम के बच्चों को जोड़नें की योजना। 6. पुस्तकालय (मस्ती की पाठशाला)–बच्चों के बौद्धिक एंव शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए पुस्तकालय का संचालन किया जा रही है। 7. किलकारी की शाखाएं–प्रमंडल स्तर पर 2 बाल भवनों गया तथा भागलपुर की स्थापना, जिससे बिहार के अन्य बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिल सके। 8. किलकारी के वार्षिक आयोजन – बाल दिवस, राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव, समर कैंप, बालश्री, राष्ट्रीय बाल लोक नृत्य महोत्सव आदि का योजना। 9. किलकारी की अन्य परियोजनाएं– (क) टाटा दोरबजी के फंड से पटना के 10 सरकारी विद्यालयों में तथा अन्य जिलों कैमूर, सहरसा, गया मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा धरहरा (भागपुर) में तीन–तीन घंटे बाल केन्द्र का संचालन। (ख) युनिसेफ के सहयोग से वैशाली जिले में बाल संसद परियोजना का संचालन।
3	21-2202.01.102.0102	शिक्षा का अधिकार	2500.00	9000.00	4000.00	राज्य स्कीम	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को राशि प्रतिपूर्त्ति की जाती है। जिसके कारण निजी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहें निर्धन तथा गरीब बच्चें निशल्क अथवा कम शुल्क पर पढ़ाई कर सके।
4	21-2202.01.111.0101 21-2202.01.111.0201 21-2202.01.111.0301 21-2202.01.111.0302 21-2202.01.789.0308 21-2202.01.796.0109 21-2202.01.789.0203	सर्व शिक्षा अभियान	838107.88	721894.61	1403410.19	राज्य स्कीम/ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	नये विद्यालय भवनों का निर्माण, अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं शौचाालय, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा 6 से 14 उम्र वालें सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। नियोजित शिक्षकों के वेतनमान के फलस्वरूप उनका वेतन भी सर्व शिक्षा अभियान मद से कराया जाता है साथ ही इस अभियान द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करायी जाती है।

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	ctV 2017&18	l;'kkf/kr ctV 2017&18	बजट 2018-19	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	21-2202.01.109.0101	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (सामान्य कोटि)	8000.00	23000.00	25000.00	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनूरत सामान्य कोटि के छात्र/छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 1 से 2 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 400/-वार्षिक, कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 500/- वार्षिक, तथा कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 700/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।
6	21-2202.01.789.0102	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (अनुसूचित जाति)	2000.00	7000.00	6000.00	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनूरत अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 1 से 2 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 400/-वार्षिक, कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 500/- वार्षिक, तथा कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 700/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।
7	21-2202.01.109.0102	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	10000.00	17000.00	15000.00	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनूरत छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 1 से 2 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 400/-वार्षिक, कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 500/- वार्षिक, तथा कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 700/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।
8	21-2202.01.109.0103	मध्य विद्यालय के छात्रों का परिभ्रमण	5845.00	5845.00	3000.00	राज्य स्कीम	छात्र/छात्राओं को अपने राज्य के ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं अन्य महत्वपूर्ण जगहों की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक, मध्य एवं कन्या विद्यालय को प्रति वर्ष 20,000/- रू0 शैक्षणिक परिभ्रमण हेतु उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना से छात्र/छात्राओं का शैक्षणिक-सह-मानसिक विकास होता है।
9	21-2202.02.107.0105	मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना (सामान्य कोटि)	4000.00	13246.48	15000.00	राज्य स्कीम	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवंम में अध्ययनरत सामान्य कोटि के बालकों को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र 2,500/-राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि दूर दराज के बच्चे भी विद्यालय पहूंच सको इस योजना से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है। तथा समय अपव्यय से रहित हो अध्ययन की ओर अधिकाधिक उनमुख हुये है।
10	21-2202.02.789.0101	मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना (अनुसूचित जाति)	1000.00	4279.52	2500.00	राज्य स्कीम	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवंम में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के बालकों को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र 2,500/-राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि दूर दराज के बच्चे भी विद्यालय पहूंच सको इस योजना से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है। तथा समय अपव्यय से रहित हो अध्ययन की ओर अधिकाधिक उनमुख हुये है।
11	21-2202.02.107.0106 21-2202.02.789.0102	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	5000.00	18021.31	17400.04	राज्य स्कीम	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवंम में अध्ययनरत सभी जाति के बालिकाओं को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र 2,500/-राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि दूर दराज के बच्चे भी विद्यालय पहूंच सको इस योजना से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है। तथा समय अपव्यय से रहित हो अध्ययन की ओर अधिकाधिक उनमुख हुये है।
12	21-2202.02.107.0107 21-2202.02.789.0104 21-2202.03.107.0104	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	5000.00	13775.80	15600.00	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनूरत सभी कोटि के छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 9 से 12 तक के छात्राओं को 1000/- वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।
13	21-2202.02.107.0108	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	4500.00	16120.60	16200.00	राज्य स्कीम	मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्त्तीर्ण प्रत्येक छात्रा को रू0 10,000/- प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में उन्मुख हो सके एवं अंतरस्नात्तक की पढ़ाई भी इस योजना द्वारा कर सके और इसके लिए वे परिवार पर आंशिक रूप से ही निर्भर रहें।

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	ctV 2017&18	l;'kkf/kr ctV 2017&18	बजट 2018-19	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
14	21-4202.01.202.0211 21-2202.02.109.0207 21-2202.02.109.0307 21-2202.02.110.0211 21-2202.02.110.0311	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	138835.00	45005.26	41666.66	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	नया माध्यमिक विद्यालय खोलना, भवन, वर्ग कक्ष एवं शौचालन का निर्माण तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा बच्चों को माध्यमिक स्तर की गुणवता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना सम्मिलित है।
15	21-4202.01.202.0103	राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	8000.00	3290.92	8000.00	राज्य स्कीम	आर्थिक रूप से पिछड़े प्रत्येक प्रखंड में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु बालिका छात्रावास का निर्माण एवं प्रत्येक प्रखंड में केन्द्रीय विद्यालय के तर्ज पर मॉडल स्कूल विकसित किया जा रहा है।
16	21-4202.01.203.0207	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	0.00	8000.00	6000.00	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा महाविद्यालयों के विकास आदि में राशि व्यय की जाती है।
17	21-2202.02.109.0105	आई0 सी0 टी0 परियोजना	1000.00	12600.00	100.00	राज्य स्कीम	कक्षा 09 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है।
18	21-2204.00.101.0103	मध्य विद्यालय की बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण हेतु	0.01	0.01	0.01	राज्य स्कीम	मध्य विद्यालयों को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान दिया जाता है।
19	21-2204.00.101.0108	बिहार सवजूनियर स्पोंटस मीट तरंग	300.00	300.00	0.00	राज्य स्कीम	जूनियर बालक/बालिकाओं के लिए स्पोर्टस हेतु सवजूनियर स्पोर्टस मीट तरंग कार्यक्रम हेतु अनुदान दी जाती है।
20	21-2202.01.109.0105	प्रारंभिक विद्यालयों मे छात्रवृत्तियॉ	351.92	12351.92	12500.00	राज्य स्कीम	प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनूरत सभी कोटि के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति के लिए कक्षा 1 से 4 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 50/-प्रति माह अर्थात 600/-वार्षिक, कक्षा 5 से 6 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 100/- प्रति माह अर्थात 1200/- वार्षिक, तथा कक्षा 7 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 150/-प्रति माह अर्थात 1800/-वार्षिक पाठ्य सामग्री क्रय हेतु उपलब्ध कराया जाता है ।
21	21-2202.01.109.0004	प्रोत्साहन हेतु विद्यालयों में सामाजिक उत्सव	0.01	0.01	0.01	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्रारंभिक विद्यालयों में वार्षिक परीक्षोपरांत कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के बीच शैक्षणिक माहौल हेतु कार्यक्रम आयोजित की जाती है और उसमें उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन दिया जाता है।
		योग :-	**1297845.04**	**1194136.66**	**1808923.14**		

बाल कल्याण योजनओं के लिए बजट प्रावधान-विभागवार विवरणी
समाज कल्याण विभाग

राशि लाख रूपये में

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	बजट 2017-18	संशोधित बजट अनुमान 2017-18	बजट 2018-19	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	51-2235.02.102.0323	एकीकृत बाल संरक्षण योजना	2800.00	2800.00	1833.33	केन्द्र प्रायोजित स्कीम (राज्यांश)	**लक्ष्य समूह** :- परिवारविहीन, विधि विवादित, निराश्रित, सड़क पर घूमने वाले, शोषण/पणन के शिकार बच्चे। **योजना का उद्देश्य** :- संरक्षण के जरूरतमन्द बच्चों की हर प्रकार से सहायता करना।
2	51-2235.02.102.0223	एकीकृत बाल संरक्षण योजना	4200.00	4200.00	5500.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम–केन्द्रांश	
3	51-2235.02.103.0111 51-2235.02.789.0109	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	100.00	7627.28	5110.63	राज्य स्कीम	गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों में कन्या के जन्म पर एकमुश्त अनुदान देने का प्रावधान है।
4	51-2235.02.102.0116	परवरिश	150.00	1500.00	1500.00	राज्य स्कीम	**योजना का उद्देश्य** :- आर्थिक रूप से विपन्न परिवार जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित हो, की संतानों, जो निर्धारित मापदंड के अंतर्गत हों, की परवरिश हेतु अनुदान प्रदान की जाती है ।
5	51-2235.02.106.0107	बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग	10.00	200.00	200.00	राज्य स्कीम	बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना।

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	बजट 2017-18	संशोधित बजट अनुमान 2017-18	बजट 2018-19	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
6	51-2235.02.106.0106	बाल दोषी अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना (बाल संरक्षण इकाई)	400.00	1000.00	1500.00	राज्य स्कीम	राज्य एवं जिला बाल संरक्षण इकाई की स्थापना।
7	51-2235.02.102.0222	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस)–स्थापना, प्रशिक्षण एवं ISSNIP योजना सहित	71563.25	71563.25	63407.41	केन्द्र प्रायोजित स्कीम– केन्द्रांश	कुल प्राक्कलित राशि में बच्चों के लिए केन्द्रांश मद में पी0एस0ई0 किट्स एवं मेडिसीन किट्स एवं ISSNIP के अंतर्गत अनप्रासन हेतु व्यय प्रस्तावित है।
	51-2235.02.102.0322		51586.17	52305.69	16258.19	केन्द्र प्रायोजित स्कीम राज्यांश	कुल प्राक्कलित राशि में बच्चों के लिए केन्द्रांश मद में पी0एस0ई0 किट्स एवं मेडिसीन किट्स हेतु एवं ,661,3 के अंतर्गत अनप्रासन हेतु संभावित व्यय प्रस्तावित है।
8	51-2236.02.101.0203	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस)–पूरक पोषाहार	70691.50	70691.50	70854.16	केन्द्र प्रायोजित स्कीम – केन्द्रांश	पूरक पोषाहार मद में कुल उपबंधित राशि से राज्य में पूर्व स्वीकृत आँगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) तथा नवस्वीकृत आँगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से बच्चों को पूरक पोषाहार प्रदान कर उन्हें कुपोषणता से बचाना है।
	51-2236.02.789.0204	पूरक पोषाहार-केन्द्रांश (विशेष घटक)	23563.84	23563.84	56270.69	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	
	51-2236.02.101.0303	पूरक पोषाहार–राज्यांश (सामान्य)	26940.91	26940.91	0.01	केन्द्र प्रायोजित स्कीम राज्यांश	
	51-2236.02.789.0304	पूरक पोषाहार-राज्यांश (विशेष घटक)	48692.00	48692.00	26815.79		
	51-2236.02.796.0305	पूरक पोषाहार-राज्यांश (जनजातीय योजना)	8776.96	8776.96	10546.15		

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	बजट 2017-18	संशोधित बजट अनुमान 2017-18	बजट 2018-19	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
9	51-4235.02.102.0208	ऑगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण एवं उत्क्रमण	14401.00	14401.00	17968.21	केन्द्र प्रायोजित स्कीम–केन्द्रांश	ऑगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए ऑगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण एवं उत्क्रमण किया जाना है।
	51-4235.02.102.0308	ऑगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण एवं उत्क्रमण	1600.02	1600.02	1380.01	केन्द्र प्रायोजित स्कीम राज्यांश	
10	51-2235.02.102.0117	ऑंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों का पोशाक	7503.00	6671.78	7969.79	शत्–प्रतिशत राज्य स्कीम	ऑगनबाड़ी एवं मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर प्री स्कूल बच्चो को पोशाक उपलब्ध कराया जाता है ।
	51-2235.02.789.0103	ऑंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों का पोशाक-(विशेष घटक)	2500.94	2500.94	2656.60		
11	51-2235.02.102.0225	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आइ0एस0एस0एन0अइ0पी0)	0.00	0.00	7200.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम–केन्द्रांश	0-6 वर्ष के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु ।
	51-2235.02.102.0325		0.00	0.00	1900.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम राज्यांश	
12	51-2235.02.102.0226	राष्ट्रीय केच स्कीम	0.00	0.00	60.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम–केन्द्रांश	बच्चों के लाभ हेतु केच का संचालन किया जाना है ।
	51-2235.02.102.0326		0.00	0.00	20.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम राज्यांश	
		योग	**335479.59**	**345035.17**	**298950.97**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

विभाग - श्रम संसाधन विभाग

(राशि लाख रूपए में)

Øe l0	foi= dkM	ifj;kstuk	ctV 2017&18	l'kksf/kr vuqeku 2017&18	ctV 2018&19	Ldhe 0;; dh izd̀fr	vH;qfDr ¼Ldhe dh laf{kIr tkudkjh½
1	2	3	4	5	6	7	8
1	26-2230011030103 26-2230017890104 26-2230017960102	बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण	281.49	286.00	302.89	राज्य स्कीम	बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा–3 के अनुसार 18 व्यवसायों एवं 65 प्रकियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित है। बाल श्रम उन्मूलन हेतु पूरे राज्य में धावा दल के माध्यम से सघन अभियान चलाकर बाल श्रमिकों का विमुक्ति जारी है। विमुक्ति के समय प्रत्येक बाल श्रमिक को एक माह का राशन हेतु रू0 2300/–(दो हजार तीन सौ), वस्त्र हेतु रू0 500/– (पॉच सौ), आवश्यकतानुसार अहार पथ्य हेतु रू0 100/–(एक सौ) एवं दवा हेतु रू0 100/–(एक सौ) अर्थात कुल रू0 3000/– (तीन हजार) का भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एम॰सी॰मेहता वनाम तमिलनाडु सरकार में दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार प्रति विमुक्त बाल श्रमिक को रू0 5000/– की दर से जिलों में स्थापित बाल श्रमिक पुनर्वास–सह–कल्याण कोष में राशि जमा कराया जा रहा है। नियोजक द्वारा रू0 20,000/– बाल श्रमिक पुर्नवास–सह–कल्याण कोष में जमा किया जाता है। बाल श्रमिकों के पुनर्वास प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए CLTS (Child Labour Tracking System) नामक सौफ्टवेयर लॉंच किया गया है साथ ही प्रत्येक विमुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से रू. 25000/– प्रति विमुक्त बाल श्रमिक को राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी की जा रही है। इस योजना के कार्यान्वयन में सहयोग हेतु एक वहॉट्स एप्प नं–9471229133 जारी किया गया है।
		योग-	**281.49**	**286.00**	**302.89**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	बजट 2017-18	संशोधित बजट अनुमान 2017-18	बजट 2018-19	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	44-2225.01.197.0101 44-2225.01.198.0101 44-2225.01.277.0107 44-2225.02.197.0101 44-2225.02.198.0101 44-2225.02.277.0101 44-2225.02.277.0214 44-2225.01.277.0222	विद्यालय छात्रवृत्ति	47856.85	52856.85	46553.00	राज्य स्कीम/ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	लगभग 37 लाख वर्ग 1 से 10 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति विभिन्न दरो पर प्रदान की जाती है। मुशहर/भुईया के वर्ग 1 से 6 तक के बच्चों को उच्चतर दर पर छात्रवृति देने का प्रावधान है ।
2	44-2225.01.198.0101 44-2225.01.277.0101 44-2225.01.198.0001 44-2225.01.197.0002 44-2225.01.277.0007	मुशहर छात्रवृत्ति	1306.00	1306.00	1306.00	राज्य स्कीम/ स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	
3	44-2225.01.197.0001 44-2225.01.277.0007	अस्वच्छ छात्रवृत्ति	40.00	40.00	40.00	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	वर्ग 1 से 10 तक के लगभग 15 हजार बच्चों को छात्रवृति दी जाती है।

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	बजट 2017-18	संशोधित बजट अनुमान 2017-18	बजट 2018-19	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	44-2225.01.277.0003 44-2225.02.277.0004	आवासीय विद्यालय	11488.65	11488.65	14537.15	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	80 आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ।
5	44-2225.01.277.0002 44-2225.02.277.0003	छात्रावास संधारण	1160.56	1160.56	1170.52	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	138 छात्रावासों में आवासन की सुविधा दी जाती है।
6	44-2225.01.277.0011 44-2225.02.277.0001	परीक्षाशुल्क प्रतिपूर्ति	85.00	85.00	85.00	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना परीक्षा शुल्क से छूट के फलस्वरूप हुई क्षति की राशि का भुगतान किया जाता है।
7	44-2225.02.277.0214	मेरिट उन्नयन योजना	10.00	10.00	10.00	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	9वीं एवं 12वीं छात्र/छात्राओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाती है।
8	44-2225.01.277.0107 44-2225.02.277.0101	मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना	2470.00	7039.74	7120.00	राज्य स्कीम	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण लगभग 93 हजार छात्र/छात्राओं को 10000 रु. एवं 8000/- मेधावृत्ति उपलब्ध करायी जाती है।
		योग-	**64417.06**	**73986.80**	**70821.67**		

बाल कल्याण योजनओं के लिए बजट प्रावधान-विभागवार विवरणी							
							राशि लाख रूपये में
क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	बजट 2017-18	संशोधित बजट अनुमान 2017-18	बजट 2018-19	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20-2210.01.200.0209 20-2210.03.110.0203 20-2210.01.200.0309 20-2210.03.110.0303	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	2384.80	11659.92	13475.85	केन्द्र प्रायोजित स्कीम(केन्द्रांश एवं राज्यांश)	इन नये कार्यक्रम के अंतर्गत 0-18 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के क्रम में जन्मजात दोषों, विकासात्मक कमी वाले बच्चों सामान्य बीमारियों से ग्रसित बच्चों एंव सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के चलते बीमार बच्चों की सरकारी खर्च पर चिकित्सा एवं शल्य-चिकित्सा सम्पन्न किया जाना है।
2	20-2210.01.200.0209 20-2210.03.110.0203 20-2210.01.200.0309 20-2210.03.110.0303	संस्थान आधारित नवजात शिशु देखभाल इकाई	541.88	496.02	561.88	केन्द्र प्रायोजित स्कीम(केन्द्रांश एवं राज्यांश)	बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर SNCU/NBSU/NBCC की स्थापना की जा रही है।
3	20-2210.01.200.0209 20-2210.03.110.0203 20-2210.01.200.0309 20-2210.03.110.0303	नवजात शिशु की घर पर देखभाल	4000.00	4000.00	4000.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम(केन्द्रांश एवं राज्यांश)	नवजात शिशु एवं प्रसूता माँ की देखभाल हेतु गृह भ्रमण के जरिये आशा कार्यकर्त्ता द्वारा सेवा दी जा रही है। जच्चा-बच्चा के बीमारी की अवस्था में आशा द्वारा स्वास्थ्य संस्थान में भर्ती कराया जाता है, जहाँ उचित इलाज देकर सेवा प्रदान की जाती है।

4	20-2210.01.200.0209 20-2210.03.110.0203 20-2210.01.200.0309 20-2210.03.110.0303	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	277.67	3557.52	7078.57	केन्द्र प्रायोजित स्कीम(केन्द्रांश एवं राज्यांश)	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत 10-19 वर्ष के किशोर-किशोरियों को किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लिनिक (AFHC) के माध्यम से प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक विकार, गैर-संचारित रोग एवं घरेलू हिंसा पर परामर्श दिये जाते है। Menstrual Hygiene कार्यक्रम के तहत् राज्य के सभी जिलों में विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरियों को सामाजिक विपणन (प्रति पैकेट रू0 6 मात्र) के माध्यम से Sanitary Napkin दिया जाएगा।
5	20-2210.01.200.0209 20-2210.03.110.0203 20-2210.01.200.0309 20-2210.03.110.0303	NRHM के अन्तर्गत पोषण पुर्नवास केन्द्र	759.71	452.40	1033.86	केन्द्र प्रायोजित स्कीम(केन्द्रांश एवं राज्यांश)	0-5 वर्ष वाले अति गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार/देखभाल हेतु राज्य के 38 जिलों में पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालित है।
		;kx	**7964.06**	**20165.86**	**26150.16**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
विभाग - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2017-18	संशोधित अनुमान 2017-18	बजट 2018-19	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30-2202.02.107.0210	अल्पसंख्यकों का बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)	120.00	20.00	100.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	केन्द्र प्रायोजित प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पूर्णतः केन्द्र पोषित योजना है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में आर्थिक सहयोग करना है।
2	30-2202.02.107.0109	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	7183.00	5183.00	5100.00	राज्य स्कीम	वर्ष 2018 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक प्रथम श्रेणी एवं बिहार मदरसा बोर्ड से फोकानियॉ परीक्षा से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र/ छात्राओं एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक (मुस्लिम) छात्राओं एवं बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी परीक्षा में प्रथम श्रेणी मेंउर्त्तीण अल्पसंख्यक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिया जाना है ।
		योग-	**7303.00**	**5203.00**	**5200.00**		

Copyright 2018 Finance Department, Govt. of Bihar